न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–449 सन् 2009

संजय सिंह व अन्य.....वादीगण

बनाम

शैल कुंअर व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 08.02.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 1 नियम 10(1) वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत आवेदन दिनांक 02.09.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद की तकरारी भूमि पर सिडियुल नं0 1 वो 3 हकियत घोषित करने वो अन्य परितोष हेतु दाखिल किया है। प्रस्तुत वाद में बहस चल रहा है और इस वाद के प्रतिवादी सं0 01 शैल कुंअर की मृत्यु दिनांक 17.05.2021 को हो गई। प्रतिवादी सं0 01 के वारिसान इस वाद में पूर्व से पक्षकार है। प्रतिवादी सं0 01 का नाम कलमजद होना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 का नाम कलमजद करने की अनुमति दी जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 18.11.2021 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। जिसमें उनका कथन है कि वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है। वादी का आवेदन आदेश 1 नियम 10 के किस उपनियम के अंतर्गत दिया गया है स्पष्ट नहीं है। वादी को प्रतिवादी सं0 01 की मृत्यु के पश्चात् कलमजद करने हेतु आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत आवेदन

देना चाहिए। आदेश 1 नियम 10 के तहत वाद के दौरान प्रतिवादी की मृत्यु के पश्चात् कलमजद करने का प्रावधान उपनियम 1 से 5 तक कही नहीं है। यह कि प्रतिवादी में से एक के विधिक प्रतिनिधिगण सी0पी0सी0 आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत पक्षकार बनाया जा सकते हैं। जहां ऐसे प्रतिवादी की मृत्यु वाद की दाखिल होने के पहले हो गई है। संहिता का आदेश 22 नियम 4 केवल उस मामले में लागू होता है, जहां अनेक प्रतिवादीगण में से 1 अथवा एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु वाद के अस्तित्वयुक्त रहने के दौरान होती है। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि वादी की ओर से आदेश 1 नियम 10(1) के अंतर्गत दिया गया आवेदन कानूनन गलत है। यह कि इस संदर्भ में बी0एल0जे0 2017 भ्लूम–4 एस0सी0 181 सिविल अपील नं0–15549 सन् 2017 के नियमन की छायाप्रति सुनवाई के दरम्यान दाखिल करे। अतः निवेदन है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में वादी का आवेदन दिनांक 02.09.2021 खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद विचारण समाप्ति के उपरांत बहस पर नियत है। प्रस्तुत वाद प्रतिवादी सं0 01 शैल कुंअर पक्षकार बनाई गई थी। जिनकी मृत्यु के पश्चात् वादी की ओर से उनके नाम को कलमजद करने हेतु यह आवेदन दाखिल किया गया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी सं0 01 के वारिसान पूर्व से प्रस्तुत वाद में पक्षकार है। अतः सिर्फ प्रतिवादी सं0 01 का नाम काटने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी के आवेदन एवं प्रतिउत्तर के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 01 शैल कुंअर की मृत्यु हुई। प्रतिवादी की ओर से सिर्फ सी0पी0सी0 में दिया गया प्रावधान की प्रतिवादी की मृत्यु के पश्चात् उनका नाम

कलमजद करने हेतु आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया जाना चाहिए था पर आपत्ति दर्ज की गई है। परंतु प्रतिवादी सं0 01 की मृत्यु होने की बात से प्रतिवादीगण को इंकार नहीं है। वादी की ओर से दाखिल आवेदन शपथ पत्र के द्वारा समर्थित है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक 03.03.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।